न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, किशनगढ़, जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 104/2021 सी.आई.एस. नं. 09/2017

धर्मेन्द्र साहू व अन्य बनाम हरदेवनाथ व अन्य

दिनांक 16.03.2026

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

इस आदेश द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 65 व 66 साक्ष्य अधिनियम दिनांकित 07.02.2026 के दो अलग–अलग प्रार्थना पत्रों का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्रों बाबत् उभयपक्षों की मजीद बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि वादीगण की तरफ से सब–रजिस्ट्रार, किशनगढ़ से प्राप्त विक्रय प्रलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि पर प्रदर्श किए जाने पर यह आपत्ति है कि वादीगण द्वारा न्यायालय से द्वितीयक साक्ष्य में दस्तावेज को प्रदर्शित करने बाबत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श डालने पर विधि के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है एवं प्रतिवादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः विक्रय प्रलेख की प्रमाणित प्रति पर प्रदर्श अंकित नहीं करने का निवेदन किया है।

अन्य प्रार्थना पत्र में वादीगण द्वारा उपखंड अधिकारी, किशनगढ़ से प्राप्त प्रमाणित दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करने में इस आधार पर आपत्ति होना बताया है कि उनके संबंध में धारा 65 व 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। अतः अनुमति के बिना प्रदर्श नहीं डालने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किया है कि वादीगण की ओर से विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति को न्यायालय में पेश किया गया है, उक्त प्रमाणित प्रति साक्ष्य में ग्राह्य है क्योंकि उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, जिसकी प्रमाणित प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वयं में ही विधि अनुसार ग्राह्य है। अतः आपत्ति निराधार है। इसके अतिरिक्त उपखंड अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरण की कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां वादीगण ने नियमानुसार प्राप्त कर पेश की हैं। उक्त दस्तावेज भी लोक दस्तावेज होने से

"Authenticated Document"

साक्ष्य में ग्राह्य है व आपत्ति निराधार है। मात्र प्रकरण को विलंब कारित करने के आशय से की गई है। उक्त आपत्ति दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करने के पश्चात् की गई है। प्रतिवादीगण ने दस्तावेज की सत्यता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है न ही दस्तावेज के निष्पादन से इनकार किया है, बल्कि उक्त दस्तावेज स्वयं प्रतिवादीगण के पास है और उन्हीं के द्वारा ही आपत्ति की जा रही है। अतः ऐसी स्थिति में स्पष्ट है की आपत्ति मात्र प्रकरण को विलंब कारित करने के आशय से पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरिए अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित करवाए जाने वाले दस्तावेज प्रदर्श 11 विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति व उपखंड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेजों पर आपत्ति की गई है। उक्त दस्तावेज विक्रय विलेख व उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से प्राप्त दस्तावेज प्रमाणित प्रति दस्तावेज है, जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। धारा 65(ई) साक्ष्य अधिनियम में लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य है। धारा 74 साक्ष्य अधिनियम में भी न्यायिक कार्यों के अभिलेख को लोक दस्तावेज होना बताया गया है। धारा 77 साक्ष्य अधिनियम लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों को उन दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के सबूत में पेश किए जाने का उपबंध किया गया है। धारा 79 साक्ष्य अधिनियम प्रमाणित प्रतियों के असल होने की उपधारणा करता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा की 57(5) में रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य होना उपबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि प्रस्तुत विक्रय विलेख लोक दस्तावेज हैं तथा उसकी प्रमाणित प्रति पेश की है, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज स्वयं में ही विधि अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य होने से धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमति की आवश्यकता होना प्रकट नहीं होता। इसके अतिरिक्त उपखंड अधिकारी के न्यायालय की आदेशिका व अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी न्यायिक कार्यों के अभिलेख होकर लोक दस्तावेज होने से साक्ष्य में ग्राह्य है, जिनके लिए धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमति की आवश्यकता होना प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उक्त विक्रय विलेख की सत्यता के संबंध में प्रतिवादीगण की

ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है न ही न्यायालय उपखंड अधिकारी से प्राप्त प्रमाणित प्रतियां, जो कि न्यायिक कार्यवाहियों के अभिलेख है, की सत्यता के संबंध में कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त हस्तगत आपत्ति उक्त दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करने के पश्चात् की गई है, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को विलंब कारित करने के आशय से पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किए जाते हैं।

प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण के निर्देश दे रखे हैं। अतः वादी आयंदा गवाह को साक्ष्य हेतु आवश्यक रूप से पेश करे व गवाह के उपस्थित आने पर आवश्यक रूप से जिरह की जाए।

पत्रावली वास्ते साक्षी वादी में दिनांक 23.03.2026 को पेश हो

GANPAT SINGH SOLANKI

Steno Gr. II
"Authenticated Document"
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.03.17 11:46:39 +0530

"Authenticated Document"